

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018 दूरभाष नं. 0141-2722520

क्रमांक: प.14(84)RSSB/अर्थना/वन विभाग/सीधी भर्ती/2020/3533

दिनांक: 11/11/2020

विज्ञापन सं.04/2020

— वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा—2020—

वन विभाग राजस्थान के लिये राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 तथा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थाई पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं— वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 73 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 14 कुल 87 एवं वनरक्षक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 886 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 155 कुल 1041

क्र.सं.	पद का नाम	गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र	कुल पद
1.	वनपाल	73	14	87
2.	वनरक्षक	886	155	1041

विशेष नोट :-

(1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन मरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञाप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उस परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी रवयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2) आवेदक की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनताम नियमों के अध्याधीन परिवर्तनीय होगी।

1. आवेदन प्रक्रिया:— आवेदन On line Application Form में लिये जाएंगे जिन्हे राज्य के निर्धारित ई-मित्रकियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बनाल एवं SSO ID एवं Password याद रखें। यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरगा। जा अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करें। पंजीयन के उपरात उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करें। ई-मित्र/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से रामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक का पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेंगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में काई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 30/- (रुपये 20/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रहा। स प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मैल एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन—पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

अभ्यर्थी अपना SSO ID एवं password से Login करें। इसके पश्चात Dashboard पर Ongoing Recuitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरें। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुनः अपने आवेदन का Preview दख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही हैं। अभ्यर्थी सही—सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करें। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करें। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग/एटीएम, कम डेबिट कार्ड/ड्रेडिट कार्ड/ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जायेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाइन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाइन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मैल एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन—पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

नोट:-

1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही—सही भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन—पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन—पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आईडी) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन—पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit न मानें।
4. कृपया ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञाप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा—निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञाप्ति एवं उक्त दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

5. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में दर्ज मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर ही भेजी जाती है।
6. अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिये एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जावें। यदि अभ्यर्थी एक स अधिक आवेदन भरता है तो उसके द्वारा भरे गये अंतिम आवेदन को ही स्वीकार किया जावेगा।
7. इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचनाएँ बोर्ड द्वारा बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही दी जावेगी। कृपया इस भर्ती से संबंधित सभी सूचनाओं के लिये नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट का अचलोकन करते रहें।

2. परीक्षा शुल्कः— आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।

- (क) सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व कीमिलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रूपये 450/-
 (ख) राजस्थान के नॉन कीमिलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु —रूपये 350/-
 (ग) समरत विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु —रूपये 250/-
 (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.8(3) कार्मिक/क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है, के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250/-देय है। (कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 5 भी अवश्य देखें।)

नोट:-

1.आवेदकों की सुविधा के लिये राज्य के समरत ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र (C.S.C) की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2.राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

3.फीस एक बार जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।

4.फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है, अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जायेगा। बाद में अभ्यर्थी द्वारा अपनी श्रेणी में परिवर्तन चाहने की स्थिति में श्रेणी परिवर्तन के लिये उसी स्थिति में विचार किया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने आवेदन शुल्क संशोधित श्रेणी के लिये निर्धारित शुल्क जमा करवाया हुआ है।

5.सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जमा करते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. प्रवेश पत्रः—बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाइट पर प्रवेश-पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र कमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. वनपाल एवं वनरक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार हैः—

(क) गैर-अनुसूचित क्षेत्र

पद का नाम	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अति पिछड़ा वर्ग				आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन
वनपाल	73	10	2	2	—	14	4	1	1	15	4	2	—	—	—	—	—	6	3	—	—	5	2	—	—
वनरक्षक	886	281	80	32	8	103	29	11	3	67	19	8	2	46	14	5	1	62	18	7	1	63	18	7	1

पद का नाम	बारां जिले की सहरिया आदिम जाति			
	विधवा	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन
वनपाल	2	—	—	—
वनरक्षक	—	—	—	—

पद का नाम	द्वैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)			
	विशेष योग्यजन	भूतपूर्व सैनिक		उत्कृष्ट खिल
	Acid Attack Victim	वनपाल	03	
वनरक्षक	—	35	292	18

(ख) अनुसूचित क्षेत्र

पद का नाम	कुल पद	सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
		सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परिवर्तन
वनपाल	14	4	—	1	—	02	—	—	—	5	2	—	—
वनरक्षक	155	43	13	5	1	03	1	1	—	62	18	7	1

क्षेत्रिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)			
पद का नाम	विशेष योग्यजन	भूतपूर्व सैनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी
घनपाल	Acid Attack Victim	01	02
वनरक्षक	06	01	03

नोट:-

- प्रत्यक्ष पद के लिये अभ्यर्थियों का अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन भरना होगा।
- गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का चयन गैर अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो पात्रता की जांच के समय अभ्यर्थी को दोनों में से किसी एक क्षेत्र का विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
- अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
- महिला भूतपूर्व सैनिकों उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) से होगा।
- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष सूचना:-

- कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुभार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा।
- परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग(अनारक्षित पद/सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7 (1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
- बांस जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांस जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 21.05.2013 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
- भूतपूर्व सैनिकों हेतु:- (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक :-

- प्रतिनिधि (शल, जल, वायु रना) सेवाओं से लवायुक्त के समान आवेदक का चरित्र "अच्छा" से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्त मृद्दांश्या गया हो।

(2) प्रतिनिधि राज्य से सवामुक्त के पश्चात किसी आवेदक का चरित्र एरा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक स्पष्ट से कमज़ोर वर्ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समानांजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की 3-नुपलक्षता के कारण उन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5(18) कार्मिक/क-2/84 पार्ट-II दिनांक 17.04.2018 के अनुसार प्रावधान भा लाभ होता है। इस अधिसूचना के अनुसार कार्मिक भूतपूर्व सैनिकों सेवानिवृत्ति होती है या आगामी एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त हो रहा है। सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निराकाश प्रमाण पत्र (एनआरसी) के अन्तर्गत प्रावधान अर्जित करने के पश्चात् पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा। किन्तु उसे समूचित चयन अभिकरण का सेवानिवृत्ति प्रमाण नहीं प्रस्तुत करना होगा।

2. साक्षात्कार में उपरिथित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपरिथित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी सामला हो।

स्पष्टीकरण:- कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.05.2019 के अनुसार जब किसी सैनिक द्वारा कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.04.2018 के तहत किसी पद हेतु आवेदन किया जाता है। तो ऐसी भूतपूर्व सैनिक के संबंध में यदि उसका सेवा निवृत्ति आदेश जारी हो चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि (चाहे भविष्यवर्ती ही हो) का स्पष्ट उल्लेख हो, तो लिखित परीक्षा / मुख्य परीक्षा / साक्षात्कार / दस्तावेज सत्यापन जैसी भी स्थिति हो की तिथि तक सेवानिवृत्ति आदेश प्रस्तुत कर दिये जाने पर उसे सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र माना जावेगा तथा इस आधार पर आवेदक को भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभ देय होगे। इस आदेश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे पत्र अभ्यर्थियों का चयन कर उनके सेवामुक्ति की तिथि तक कार्यग्रहण अवधि में शिथिलन प्रदान कर सकता है। यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति का नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान सख्त्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।

11. **उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पत्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्यर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धीय प्रावधान :- कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :-

1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:

क्र.सं. 1	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था 2	टूर्नामेंट / चैंपियनशिप का नाम 3
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स(ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स; जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ.)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	विश्व कप/ विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध एशियन खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तरराष्ट्रीय स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ)	एशियन स्कूल गेम्स/ चैंपियनशिप

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो :

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन(एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिपमें व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

4. एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरस्यूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।"

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना यांग खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है।

12. विशेष योग्यजन (निःशक्तजन) के लिये :-

a. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के नियम 6(2)b अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 24.02.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही आरक्षण का लाभ देय है :-

1. Acid Attack Victim पात्र होंगे।

b. विशेष योग्यजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

c. उपरोक्त दर्शाए गए विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिये पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा।

d. विशेषयोग्यजन आवेदक On line application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेषयोग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

५. ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यागजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित विकिट्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को विशेष योग्यजनों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

५. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :-

१. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी हैं और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म १ जनवरी, १९७० का वाच हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज १ जनवरी १९७० के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक(क-२) विभाग की अधिसूचना दिनांक २१.१०.२०१९ के अनुसार इनके अन्तर्गत आमे वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
२. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.१३(२०) कार्मिक/क-२/९१/पार्ट दिनांक ०४.०७.२०१६ के अनुसार की जायेगी।
३. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम-२०१४ के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं, वहां पर राजस्थान वन अधिनस्थ सेवा नियम, २०१५ के प्रावधान लागू होंगे।
४. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. १९(२) ८०-एल-१ दिनांक १२.०२.१९८१ द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक(क-२) विभाग ने अपने परिपत्र कमाक प.१३(२०) कार्मिक/क-२/९१/पार्ट-३ दिनांक ०१.०६.२०१८ द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक १९.०५.२०१८ (बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विख्यापित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु, पेशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

६. वेतनमान:- राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतन आयोग के अनुसार वनपाल का वेतनमान

पे मैट्रिक्स लेवल-४ निर्धारित है तथा वनरक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-४ निर्धारित है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

अन्य शर्तें :-

- (१.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षा (Trainee) को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रामिक रेसी दरों पर संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की जावे।
- (२.) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त सभी व्यक्तियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रामिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में निहित संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगा। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे य स्पाईकरण का पात्र होगा।

७. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:-

- i. वनपाल के लिए:- (i) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी (10+2) या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित परीक्षा उत्तीर्ण

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

- ii. वनरक्षक के लिए:- (i) किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण

(ii) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी में कार्य करने का ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए वनपाल एवं वनरक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह/उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:-

1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,

2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।

3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो।

शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता परीक्षण:-

- (क) वनपाल और वनरक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी नीचे यथा विहित शारीरिक उपयुक्तता के न्यूनतम मापमान प्राप्त करेगा :-

अभ्यर्थी	ऊँचाई (सेमी.)	सीने का धंरा (सेमी.)	
		सामान्य	फैलाव
पुरुष	163	84	05
महिला	150	79	05

अनुसूचित जनजातियों और नरले जैसे, असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, कमांड, लद्दाखी, मीजो, नागा, नेपाली, सिक्किमी के अभ्यर्थियों और जो अरुणाचल प्रदेश, लाहौल तथा स्पीति, मेघालय से हैं, के मामले में न्यूनतम ऊँचाई के निम्नलिखित मापमान अनुज्ञात किये जा सकेंगे :-

अभ्यर्थी	ऊँचाई (सेमी.)
पुरुष	152
महिला	145

- (ख) पद-चाल परीक्षण :- पुरुष/महिला अभ्यर्थी को कमश २५/१६ किमी की दूरी ४ घण्टे के भीतर-भीतर पैदल चल कर तय करने वाला एक शारीरिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

(ग) वगा रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के किसी अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता के निम्नलिखित मापमान भी प्राप्त करने होंगे। अभ्यर्थी अपने स्वयं के जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपस्थित होंगे।

पुरुषों के लिए:-

मद	मापमान
1. सिट-अपस	1 मिनट में 25 दौहराएँ
2. किकेट गैल फेंक (थ्रो)	55 मीटर

महिलाओं के लिए

मद	मापमान
1. खड़ी लम्बी कूद (स्टैपिंग ब्रांड जम्प्स)	1.35 मीटर
3. गोला फेंक	4.5 मीटर
4. (शॉट पुट) (4 कि.ग्रा.)	

शारीरिक दक्षता के ये मापमान, भूतपूर्व सेनिक कार्मिकों/बांसा जिले में निवास कर रहे सहरिया अभ्यर्थियों और जनजाति उप आयोजना क्षेत्र के अनुजा./अनुजन.जा. अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए समस्त प्रवर्गों के अभ्यर्थियों पर लागू होंगे।

सिट-अपस के लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा, टखनों को थामने के लिए सहारे के साथ उसकी टांगे पूर्णरूप से तनी हों और अपने ऊपरी शरीर को उठायेगा। उठते समय अपने ऊपरी शरीर को 90 डिग्री तक उठायेगा (शरीर को जमीन के साथ लम्बवत् करते हुए) उसकी टांगे उठनी नहीं चाहिए। खड़ी लम्बी कूद (स्टैपिंग ब्रांड जम्प्स) के लिए अभ्यर्थी रिथर दशा (बिना दौड़ लगाये) से कूदेगा और कूदने वे टेक लगाते समय भी दोनों टांगों का साथ-साथ रखेगा।

(घ) अहंता के लिए उपरोक्त उप-नियम (2) के खण्ड (ग) में उल्लिखित मदों के लिए किसी अभ्यर्थी को दो अवसर दिये जायेंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण नियम 23 के उप-नियम (2) के अधीन गठित द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा।

(च) शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता परीक्षण के बाल अर्हक प्रकृति (Qualifying in Nature) का होगा।

अन्य योग्यताएँ :-

(1) स्वास्थ्य:- बनपाल एवं बनरक्षक के पद पर भर्ती के लिए उभ्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि बनपाल एवं बनरक्षक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरंभयाता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र — सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह बनपाल एवं बनरक्षक के पद पर नियुक्त के लिये योग्य हो सके। उसे सद्वरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन-पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हों।

8. राष्ट्रीयता :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) ऐसातिक्ती शरणार्थी जो दिनांक 1—1—62 से पहले भारत में रथाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में रथाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानियातथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट—परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ङ) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.आयुः—बनपाल :- आवेदक 1, जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु “जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।”

बनरक्षक:- आवेदक 1, जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 24 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु “जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जावेगी।”

स्पष्टीकरण:- बनपाल एवं बनरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2015–2016 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की और छूट दी जाएगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

1. अधिकतम आयु सीमा में –

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ख) सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी हैं, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2. अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जिसने सजा मिलने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार (Substantive) पर सेवा की हो और जो सजा पान से पूर्व नियमों के अधीन नियुक्त का पात्र था।

3. अधिकतम आयु की सीमा में किसी ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में उसके द्वारा भोगी गई सजा की अवधि के बराबर काल तक की ढील दी जाएगी, जो कि सजा मिलने से पहले अधिक आयु का नहीं हुआ था और नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए योग्य था।

4. कैडेट प्रशिक्षकों (Cadet Instructors) को उनकी वास्तविक आयु में से उतना समय घटाने की अनुमति दी जायेगी जितना समय उन्होंने एन.सी.सी. की सेवा में बिताया है यदि उसके परिणाम रवरूप उनकी आयु उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु तक गए गये व्यक्तियों की आयु सीमा के भीतर रहे, जब वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय प्रस्तुत हों।

5. राज्य सेवा में एक पद के लिए अस्थायी रूप से नियुक्ति किए गए व्यक्तियों की आयु सीमा के भीतर माना जाएगा यदि वे अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के समय प्रस्तुत हों।

6. सेना में मुक्त होने के बाद जारी किए गए आपातकालीन कमीशन अधिकारी और शॉट सर्विस कमीशन के अधिकारियों के व्यक्तियों के मामले में निर्धारित आयु सीमा में माना जायेगा भले ही वे निर्धारित आयु सीमा को प्राप्त कर चुके हों जब वे चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हों।

/ राज्य पंचायत समिति तथा जिला परिषद और प्रज्ञिक संकट समिति / नियम के कामकालाओं के संबंध में अधिकारी हैसीयत से सेवा कर रहे व्यक्तिगत तथा संघर्ष में उपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

8. भूतात्पर सभा कार्मिकों और रिजर्वर्स्टों अधीन सेवा करना जामिनों लेनदेन इजरामें स्थानान्तरित किया गया था के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

9 विवाहाता और विच्छिन्न विवाह महिलाओं के मामले में काढ़ आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :- विवाह महिला के मामले में उस सक्षम प्राधिकारी से अपने पते की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह महिला के मामले में उस विच्छिन्न विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत बरता होगा।

नोट:-

(क) संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छू नगी तो जावेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो। आवदक के अधिकारी का हानि पर लागता आवंदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(ख) आयु संवधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान बन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी मंजूरान, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें।

(ग) सम्पर्क विवरण नं. ५ की क.रा. १ से ०९ पर वर्णित आयु सीमा में छूट का प्रावधान “Non Cumulative” है अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरांत क.स. १ या ०९ में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जांड कर उन्हें का लाभ नहीं दिया जायेगा।

10. अंशदायी पेशन:- नये भर्ती/नियुक्त वर्षों वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी प्रश्न गाजिना लागू होगी।

11. विवाह पंजीयन:- शारण के परिषद क्रमांक प.६(१५) यू-१३/ २००८ दिनांक २२-५-२००८ के अनुसार इस परिषद के जारी होने की दिनांक संज्ञानीय सेवा में नियुक्त हतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

12. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

(क) परीक्षा शुल्क राज्य के नियमित इं-भित्र कियोरक जन सुविधा एन्ड (C.S.C.), नेट वैक्स, ए.टी.एम. कम डेविट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक ०८.१२.२०२० से दिनांक ०७.०१.२०२१ का मध्य तक जमा कराया जा सकता है।

(ख) आनलाईन आवेदन पत्र दिनांक ०८.१२.२०२० से दिनांक ०७.०१.२०२१ का मध्य तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकत है (इसके लिये नियमित हो जाएंगा)। आवेदकों का सलाह नहीं जाती है कि आनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए गए समय सीमा के भीतर आनलाईन आवेदन कर।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांक:- वनपाल एवं वनरक्षक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रों पर करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना यांड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञापित का माध्यम से अलग से दी जायेगी। यांड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में :- सभी आवेदक जो पहले तोंडों सरकारी नोकरी में हैं या सरकारी उपकरणों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियावता का इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

15. नियुक्ति की अयोग्यताएँ :-

(१) किसी भी एसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक रुप अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किया जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायगा। ऐसी आवेदकों का इस नियम नहीं वर्त्यान्ते रा छूट दो ज्ञा सकती है तो ; सरकार सत्पुरा दो कि एसा करने के लिए विशेष आधार है।

(२) किसी भी एसे भौतिक आवेदक को जिसने उस पुरुष सांविधान लिया है जिसक पहल आवेदन पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जायगा। ऐसी महिला आवेदक को इस नियम की काठ्यान्ते रा छूट दोजा सकती है यदि उसके सरकार सत्पुरा हो कि एसा करने के लिए विशेष आधार है।

(३) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दंहंज स्वीकार किया हा।

(४) ऐसा काई भी अभ्यर्थी, जिसक १-६-२००२ का था उसके पश्चात नहीं न अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो स अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक नियमें नहीं समझा जायेगा, जब तक कि १ जून, २००२ को विद्यमान उसके बच्चों को संख्या में बढ़ात्तरों नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहा किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से क्वल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक स अधिक बच्चे पैदा होत हैं वहा बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय एसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(५) कोई भी उम्रीदावार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड न छदमनाग्ला (अपने आप का अन्य व्यक्ति होना चाहिए) करने, या कांट-छांट किए हुए जाता दरतावाज पंश करने या गलत यान देने या महत्वपूर्ण सूचना छपाने या परीक्षा में अनुचित तरीक काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने, या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए काई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दाष्ठी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों दो उन्नतरायी वनाने के द्वितियिक, पतियोगी परीक्षाओं में हैडिंग के लिए, स्थाई ग्रप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए वर्दिष्ट (Debarred)कर दिया जायेगा।

16.आवेदन कैसे करें:-

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछडा वर्ग, अतिं पिछडा वर्ग की कामालय, एसी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग (कीमीलंग एवं भान कीमीलंग) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दे:-

1 आवेदकों दो हिंदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर निर्देशों के साथ-साथ संवधित सेवा नियम का अध्ययन कर लें।

2 ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक दो स्लीकार किए जाएं। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में वाहों आवश्यक समरत सूचनाएं संवधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समरत प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में वाह द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना का ही भरी मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समरत जिम्मेदारी आवेदक को होगी।

3 यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने वाले आवेदक का आवेदन पत्र लोर्ड द्वारा किया जाता है भक्ता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक को होगी। अन्यान्य जाति / अनुराजित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / अति पिछडा वर्ग (कीमीलंग एवं भान कीमीलंग) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

4 बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन त्रय में भरी गई सूचनाओं के आधार पर वाहों अभ्यर्थियों की वाहता (आयु वांग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी यदि आवेदक द्वारा अभ्यर्थी वाहन के आधार पर वाहों अभ्यर्थियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद ।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण—पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही—सही एवं पूर्ण भरी गई है।
 अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण—पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए होने आवश्यक हैं।
- 3 अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण—पत्र जौ़ नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं होगा।
4. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
- 5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण—पत्र On line Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग का लाभ देय नहीं होगा।
- 7 शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, मूलपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समर्त मूल दस्तावेज।
- 20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:**—आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समर्त सूचना सही—सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक/अधिजागर/बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समर्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित “Punishment for insolent behavior/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination” तथा “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations, 2016” के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं परीक्षा की स्कीम:— वनपाल एवं वनरक्षक भर्ती की परीक्षा की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर अलग से उपलब्ध करवा दिया गया जावेगा।

स्कीम एवं विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की

22. बोर्ड की वेबसाइट:—आवेदक बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्थागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समर्त पत्र व्यवहार संचय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संरक्षण परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।



(डॉ. बी.एल.जाटावत)
अध्यक्ष